रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2001/भाद्र 2, 1923

No. 223] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2001/BHADRA 2, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001

टीएएमपी/118/2000-सीएचपीटी.—इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) की समेकित दरों के मान की अधिसूचना से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/118/2000-सीएचपीटी में 28 मार्च, 2001 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश और सीएचपीटी की समेकित दरों के मान, इनकी शर्तों सहित, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खंड-4) में 30 मार्च, 2001 को राजपत्र सं. 79 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

2. सूचित किया जाता है कि 30 मार्च, 2001 को अधिसूचित किए गए समेकित दरों के मान और इसकी शर्तों में कुछ मुद्रण संबंधी त्रुटियाँ पाई गई हैं। त्रुटियों और संशोधनों का विवरण निम्नलिखित है : -

क्र.सं.	दिनांक 30-3-2001 की राजपत्र सं. 79 का पृष्ठ संख्या	अध्याय संख्या, मद संख्या, मान संख्या, टिप्पणी संख्या आदि	अधिसूचना में आभासित त्रुटि	निम्न रूप में पढ़ा जाए
(1)	15	अध्याय-II क, मान ख, मद स. 9	पोत पर सीएचपीटी में एकत्रित झाकन और इस पत्तन पर उतारी गई	पोत के नीतल पर एकत्रित झाकन और इस पत्तन पर उतारी गई
(2)	18	अध्याय-II क, मान ड., मद स. 4	बंकरो के लिए सीएचपीटी मे रखा गया उल्लिखित कोयला	बंकरो के लिए नीतल पर रखा गया उल्लिखित कोयला

क्र. सं.	दिनांक 30-3-2001 की राजपत्र सं. 79 का पृष्ठ सख्या	अध्याय संख्या, मद संख्या, माग संख्या, टिप्पणी संख्या आदि	अधिसूचना में आभासित त्रुटि	निम्न रूप में पढ़ा जाए
(3)	25	अध्याय-II ख, मान क में मद सं. 10 (I) (ख) का कॉलम सं. 3	दरों के मान की पुस्तक-I के अध्याय-II में मान क के तहत दिए गए वर्गीकरण के अनुसार घाटशुल्क	दरों के मान की पुस्तक-I के अध्याय-II क में मान क के तहत दिए गए वर्गीकरण के अनुसार घाटशुल्क
(4)	34	अध्याय-II ख, मान ख, मद स. 2क, टिप्पणी (2)	यदि कंटेनर माल को पूरे ——— पठित प्रावधानों के अनुसार इस 'अतिरिक्त भंडारण शुल्क' का संयंत्र ——— भंडारण शुल्क।	यदि कंटेनर माल को पूरे ——— पठित प्रावधानों के अनुसार इस 'भंडारण शुल्क' का संयंत्र ——— भंडारण शुल्क।
(5)	43	अध्याय-III, माम ख (1), टिप्पणी (2)	पोतों के मास्टरों, मालिकों अथवा ——— देय प्रभार से भिन्न दरों के मान की पुस्तक-I के अध्याय-II के मान क के अंतर्गत होगे।	पोतों के मास्टरों, मालिको अथवा देय प्रभार से भिन्न दरों के मान की पुस्तक-I के अध्याय-IIक के मान क के अंतर्गत होंगे।
(6)	44	अध्याय-III, मान ख (2), टिप्पणी (1)	प्रभार मे क्रेन किराया भी शामिल है, यदि यह प्रभार सीएचपीटी पोत के पटल पर रखने के लिए फोर्क लिफ्ट ट्रक ——— नहीं दी जाएगी।	प्रभार मे क्रेन किराया भी शामिल है, यदि यह प्रभार पोत के नौतल पर रखने के लिए फोर्क लिफ्ट ट्रक ——— नहीं दी जाएगी।
(7)	45	अध्याय-III, मान ग, माद-I, टिप्पणी (VI)	पोतांतरण या उसी तल के कार्गो ——— क्रिया के लिए तथा इसे यान के सीएचपीटी पर रखे जाने हेतु ——— वसूला जाएगा।	पोतांतरण या उसी तल के कार्गो ——— क्रिया के लिए तथा इसे पोत के नौतल पर रखे जाने हेतु ——— वसूला जाएगा।
(8)	47	अध्याय-III, मान ग, मद-II, टिप्पणी (VI)	पोतांतरण या उसी तल के कार्गो ——— क्रिया के लिए तथा इसे यान के सीएचपीटी पर रखने जाने हेतु ——— वसूला जाएगा।	पोतांतरण या उसी तल के कार्गो ——— क्रिया के लिए तथा इसे पोत के नौतल पर रखे जाने हेतु ——— वसूला जाएगा।
(9)	60	अध्याय-V, मान घ में मद सं. 3 का कॉलम स. 3	21.20 रुपए प्रति हरेक मद्रास पोर्ट ट्रस्ट शोअर मजदूर जो हुकों पर कार्य करते हैं।	हुकों पर नियुक्त प्रत्येक सीएचपीटी तटीय मजदूर के लिए 21.20 रुपए

क्र.सं.	दिनांक 30-3-2001 की राजपत्र सं. 79 का पृष्ठ संख्या	अध्याय संख्या, मद संख्या, मान संख्या, टिप्पणी संख्या आदि	अधिसूचना में आभासित त्रुटि	निम्न रूप में पढ़ा जाए
(10)	60	अध्याय-V, मान घ में मद सं. 3 का कॉलम सं. 4	14.20 रुपए प्रति हरेक मद्रास पोर्ट ट्रस्ट शोअर मजदूर जो हुकों में कार्य करते हैं	हुकों पर नियुक्त प्रत्येक सीएचपीटी तटीय मजदूर के लिए 14.20 रुपए
(11)	60	अध्याय-V, मान घ में मद सं. 4 का कॉलम सं. 3	39 रुपए प्रति हरेक मद्रास पोर्ट ट्रस्ट शोअर मजदूर जो हुकों में कार्य करते हैं	हुकों पर नियुक्त प्रत्येक सीएचपीटी तटीय मजदूर के लिए 39 रुपए
(12)	60	अध्याय-V, मान घ में मद सं. 4 का कॉलम सं. 4	26.60 रुपए प्रति हरेक मद्रास पोर्ट ट्रस्ट शोअर मजदूर जो हुकों में कार्य करते हैं	हुकों पर नियुक्त प्रत्येक सीएचपीटी तटीय मजदूर के लिए 26.60 रुपए
(13)	78	अध्याय-IX, मान घ, वर्ग-I में क्रम सं. 14 का कॉलम सं. 5	वत्तन सीएचपीटी अग्नि सेवा के बाहर से लाए गए उपकरणों —— प्रभार लिया जाएगा।	सीएचपीटी अग्निशमन सेवा के बाहर से लाए गए उपकरणों ———— अतिरिक्त प्रभार लिया, यदि उनका प्रयोग किया जाता है।
(14)	92	अध्याय-IX, वर्ग-II, मान छ, मनीला रस्सी की टिप्पणी (2)	जब भी सीएचपीटी के भीतर परीक्षण किए जाते हैं तो यान के भीतर प्रत्येक अवसर पर संचालित परीक्षणों के लिए —— लगाया जाएगा।	जब भी यान के नौतल पर परीक्षण किए जाते हैं तो यान के नौतल पर प्रत्येक अवसर पर संचालित परीक्षणों के लिए ———— लगाया जाएगा।
(15)	121	पुस्तक-II, अध्याय-I क, खंड (2)	सीएचपीटी की अभिरक्षा में ———— और पुस्तक-I में अध्याय-II के मान 'क' में ——— रसीद देता है।	सीएचपीटी की अभिरक्षा में ———— और पुस्तक-I में अध्याय-II क के मान 'क' में ———— रसीद देता है।
(16)	129	पुस्तक-II, अध्याय-I ख, रुके हुए स्थान (भांडागार) के लाइसेंसीकरण के संबंध में अनुसूची खंड सं. 1 (ङ)	लाइसेंस के पहले वर्ष की अवधि —— नोटिस देकर लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किए जा रहे लाइसेंस की दशा में।	लाइसेंस के पहले वर्ष की अवधि ——— नोटिस देकर लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस समाप्त किए जाने की दशा में।
(17)	137	पुस्तक-II, अध्याय-IV, क, खंड स. 10	सीएचपीटी जलयानों पर कार्य करने के लिए किराए पर लिए गए ——— लागू हैं .	जलयानों के ऑन-बोर्ड पर कार्य के लिए किराए पर लिए गए ———— लागू हैं :

क्र.सं.	दिनांक 30-3-2001 की राजपत्र सं. 79 का पृष्ठ सख्या	अध्याय संख्या, मद संख्या, मान संख्या, टिप्पणी संख्या आदि	अधिसूचना में आभासित त्रुटि	निम्न रूप में पढ़ा जाए
(18)	137	पुस्तक-II, अध्याय-IV, क, खंड 10 (घ)	इलेक्ट्रिक फार्क लिफ्ट/ रीच ट्रक ——— । सीएचपीटी जलयान पर आरुढ़ तथा तट पर ——— पैदा होने की संभावना है।	इलेक्ट्रिक फार्क लिफ्ट/ रीच ट्रक ——— । जलयान के नौतल पर आरुढ़ तथा तट पर ——— पैदा होने की संभावना है।
(19)	137	पुस्तक-II, अध्याय-IV, क, खंड 10 (च)	फोर्क लिफ्ट/रीच ट्रकों को सीएचपीटी जलयान के सीएचपीटी पर रखने के लिए ——— फोर्क लिफ्ट/रीच ट्रकों को एक सीएचपीटी जलयान के फलके से दूसरे जलयान के फलके पर स्थानांतरण केवल न्यास के विद्युत ——— जाना चाहिए।	फोर्क लिफ्ट/रीच ट्रकों को जलयानों के नौतल पर रखने के लिए ——— फोर्क लिफ्ट/ रीच ट्रकों को जलयानों के नौतल के एक फलके से दूसरे फलके पर स्थानांतरण केवल सीएचपीटी के विद्युत ——— जाना चाहिए।
(20)	138	पुस्तक-II, अध्याय-IV, ग, खंड (1)	मास्टर अथवा जलयान ——— । ऐसे जलययान के सीएचपीटी पर सावधानीरहित ——— जिम्मेदार होगा।	मास्टर अथवा जलयान ——— ऐसे जलयान के नौतल पर सावधानीरहित ——— जिम्मेदार होगा।
(21)	146	अनुबंध में मद स. 37 का कॉलम सं. 1	लाइम 44 एस.सी. क्रेन	लीमा 44 एस.सी. क्रेन

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन 3/4/143/2001/असाधा.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.